2012/00010

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 22/2012

प्रार्थी
कैलाश कुमार गोद पुत्र
हरकचन्द जाति ओसवाल
निवासी सिवाना तहसील,
सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.उमराव देवी पत्नि पारसमल
पुत्री केसरीमल जैन जाति
ओसवाल निवासी सिवाना
2.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्व निरस्त करने पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.10.2010 जो ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थित:– 1. प्रार्थी अनुपस्थित ,अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थीनी संख्या 01 अनुपस्थित, अधिवक्ता उपस्थित।
3. अप्रार्थीनी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचात सिवाना उपस्थित

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 01 उमराव देवी ने सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर ग्राम पंचायत सिवाना की आबादी भूमि में कब्जा सुदा 2343 वर्ग फीट पर कब्जा बताते हुए भूखण्ड का पट्टा दिलवाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत 200/–वसूल कर दिनांक 05.10.2010 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 03 जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त पट्टा की भूमि उसके गोद पिता स्व. हरकचन्द एंव अप्रार्थीर्नी संख्या 01 के पिता स्व.केसरीमल का आवास पर उसका पुश्तैनी कब्जा है, जो जिला न्यायालय बालोतरा के निर्णय दिनांक 07.11.1984 द्वारा वादग्रस्त पट्टा की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी एंव कब्ज भूमि मानी है जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्राथीर्नी संख्या 01 को नियम 145 से 157 के प्रावधानों के विरूद्व प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि को शामिल करके पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने गलत एंव नियम विरूद्व पट्टा जारी होना बताते हुए

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बनित रिकॉर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थीनी संख्या 01 अनुपस्थित रही। अप्रार्थीनी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थीनी संख्या 02 उपस्थित रही।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा की भूमि में अपनी भूमि बताते हुए अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष जारी पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी के गोद पिता स्व.हरकचन्द तथा अप्रार्थीनी संख्या 01 के पिता स्व.केसरीमल का आवासीय मकान कस्बा सिवाना में एक परकोटे के भीतर आया हुआ है। यह आवासीय मकान दो हिस्सो में विभक्त है। दोनो हिस्सो में निर्माण एक सा है मगर बाहर निकलने का रास्ता एक है, जो पश्चिम दिशा में हैं परकोटे के भीतर बने इस मकान का उतरी हिस्सा प्रार्थी के गोद पिता स्व.हरकचन्द का व दक्षिण का हिस्सा अप्रार्थीनी संख्या 01 के पिता स्व.केसरीमल का था जो उनके देहान्त पर विरासत में पक्षकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या01 को अपने अपने वालिदान से विरासत में प्राप्त हुआ तथा उसी अनुसार कब्जा है। प्रार्थी उतरी हिस्से पर व अप्रार्थीनी संख्या 01 दक्षिणी हिस्से पर काबिज है।प्रार्थी अपने व्यापार कारोबार के कारण सिवाना से बाहर रहने से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अप्रार्थीनी ने इस समूचे परकोटो को अपने स्वामित्व एंव कब्जे का बताते हुए नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त किया जो नियम विरूद्ध जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिये हुए है,का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के गोद पिता हरकचन्द पुत्र छगनीराम जाति ओसवाल निवासी सिवाना ने अप्रार्थीनी संख्या 01 के पिता केशरीमल पुत्र गेबीराम जाति ओसवाल निवासी सिवाना के विरूद्ध एक

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी हर्जाना व कब्जा भूमि बाबत जिला न्यायाधीश बालोतरा के न्यायालय में वाद संख्या 21/79 प्रस्तुत किया, जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.1984 द्वारा मुतनाजा मकान का उतरी निस्फ हिस्से का स्वामित्व वादी हरकचन्द का मानते हुए कब्जा वादी को दिलाते हुए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि भविष्य में वादी के कब्जे में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे तथा इस परिसर में विभाजन की चौसीरी दीवार बनाने की अनुमति प्रदान करते हुए दिवार के निर्माण का आधा खर्चा व हर्जाना के रूपये तीन हजार प्रतिवादी से वादी को दिलवाने के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार माननीय जिला न्यायायय बालोतरा के निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि इस परिसर का उतरी भाग प्रार्थी का है, मगर अप्रार्थीनी संख्या 01 ने सम्पूर्ण परिसर का पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व इस सम्बन्ध में जॉच नहीं की है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा गठित मौका कमेटी ने भी इस सम्बन्ध मे जॉच नहीं, जिससे नियम 146 की पूर्ण पालना नहीं की गई है एंव माननीय जिला न्यायालय बालोतरा द्वारा पारित निर्णय की अनदेखी करके बिना जॉच किये ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में सम्पूर्ण परिसर का पट्टा जारी कर दिया, जो खारिज करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.10.2010 को खारिज किया जाता है और मामला सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन के सम्बन्ध में जिला न्यायालय बालोतरा द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री में अंकित माप व दिशा की भूमि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में अंकित प्रक्रिया को अपनाते हुए मामले में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 24.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर